


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम धुव्रसिंह पुत्र फुलसिंह राजपूत निवासी मण्डावरा तह.कुचामन		
प्रा.पत्र नम्बर	241/2020	GCMS No.2020/00361
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
9.11.2024	<p>वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 270 रकबा 1.88 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु अप्रार्थी द्वारा पत्रावली तैयार कर ली गई है तथा संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करने को तैयार है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण में कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही झोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके।</p> <p>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> 